यह निरीक्षण प्रतिवेदन **प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक, बी॰ डी॰ पाण्डे जिला चिकित्सालय, पिथौरागढ़** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय **प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक, बी॰ डी॰ पाण्डे जिला चिकित्सालय, पिथौरागढ़** के माह 10/2016 से 04/2018 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री सुधीर कुमार सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 18-05-2018 से 23-05-2018 तक श्री बी॰ डी॰ सिंह वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-I

1. **परिचयात्मकः** इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री मुकेश कुमार एवं श्री योगेश त्यागी सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी तथा मुकेश कुमार वरिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 28.10.2016 से 07.11.2016 तक हनुमान सिंह लेखा परीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में संपादित किया गया था। जिसमें माह 02/2014 से 09/2016 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 10/2016 से 04/2018 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

2. (i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः

(अ) **प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक, बी॰ डी॰ पाण्डे जिला चिकित्सालय, पिथौरागढ़** का मुख्य कार्यकलाप पिथौरागढ़ जनपद के लोगों को आकस्मिक स्वास्थ्य सेवायें प्रदान की जाती हैं।

(ब) **प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक, बी॰ डी॰ पाण्डे जिला चिकित्सालय, पिथौरागढ़** एवं इकाई द्वारा संचालित योजनाओं का भौगोलिक क्षेत्र समस्त पिथौरागढ़ है।

(अ) विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(धनराशि ₹ लाख में)

वर्ष	**प्रारम्भिक अवशेष**		**स्थापना**		**गैर स्थापना**		**आधिक्य (+)**	**बचत (-) (समर्पण)**
	स्थापना	**गैर स्थापना**	**आवंटन**	**व्यय**	**आवंटन**	**व्यय**		
2015-16	----	----	692.56	692.56	181.19	181.19		
2016-17	----	----	844.49	783.56	0.99	0.96		60.96
2017-18	----	----	1063.34	1002.75	1.16	1.15		60.60
2018-19			137.03	137.03				

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः

(₹ लाख में)

योजना का नाम	**वर्ष**	**प्रारम्भिक अवशेष**	**प्राप्त**	**व्यय**	**अधिक्य (+)**	**बचत (-)**
एनएचएम	2016-17	5.24	32.70	32.48		5.46
एनएचएम	2017-18	5.46	32.15	25.44		12.17

(ii) इकाई को बजट कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून, एवं भारत सरकार से प्राप्त होता है। विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

1. सचिव 2. महा निदेशक 3. मुख्य चिकित्सा अधिकारी 4. प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक

2. **लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः** लेखापरीक्षा में **प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक, बी॰ डी॰ पाण्डे जिला चिकित्सालय, पिथौरागढ़** को आच्छादित किया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वितरण अधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी किये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन **प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक, बी॰ डी॰ पाण्डे जिला चिकित्सालय, पिथौरागढ़** की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 03/2017 एवं 03/2018 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया। प्रतिचयन अधिकतम व्यय धनराशि के आधार पर किया गया।
3. लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 13, लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग- दो (ब)

प्रस्तर 01 : ₹ 46.76 लाख मूल्य की औषधियों की नियमानुसार गुणवत्ता जाँच नहीं किया जाना।

उत्तराखंड शासन के पत्र संख्या 1284/xxviii-5 2008-24/2003 चिकित्सा अनुभाग-5 देहरादून दिनांक 28 अक्टूबर 2009 के बिन्दु 11 'क' के अनुसार उत्तराखंड राज्य मे राजकीय चिकत्सालयों/औषधालयों के लिए एक बार मे क्रय की गयी विभिन्न औषधियों मे से 20 प्रतिशत दवाओ के रैंडम नमूने लेकर उनका अधिकृत ख्याति प्राप्त संस्थाओ से विश्लेषण कराया जाए ताकि दवाइयो की गुणवत्ता सुनिश्चित की जा सके। औषधियों के नमूनो की जांच हेतु शासन द्वारा अनुमोदित जांचकर्ता फर्मो के पैनल से इस हेतु निर्धारित की गयी प्रक्रिया के अनुरूप जांच कराई जाए। बिन्दु 10 के अनुसार प्रत्येक निविदा दात्री फर्म द्वारा आपूर्ति की जाने वाली औषधि उसके निर्माण की तिथि से तीन माह से अधिक पुरानी नहीं होनी चाहिए।

प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक, बी॰ डी॰ पाण्डे जिला चिकित्सालय, पिथौरागढ़ के औषधियो के अभिलेखो की जांच मे यह तथ्य प्रकाश में आया कि चिकित्सालय द्वारा 10/2016 से 04/2018 तक की अवधि में ₹ 46,76,339.99 की औषधियाँ क्रय की गयी। क्रय की गयी औषधियों के 20 प्रतिशत रैंडम नमूने लेकर उनका अधिकृत ख्याति प्राप्त संस्थानों से विश्लेषण कराया जाना था, लेकिन चिकित्सालय के द्वारा नियमों की अनदेखी करते हुये औषधियों के परीक्षण नहीं कराये गए। जो कि शासनादेश के प्रावधानों मे वर्णित नियमो का उल्लंघन था।

उक्त के सम्बंध में इंगित किए जाने पर प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक ने तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि की तथा जिला चिकित्सालय के द्वारा औषधियों का क्रय करने के पश्चात 20 प्रतिशत नमूने लेकर उनका विश्लेषण नहीं कराया गया। विश्लेषण नहीं कराये जाने के सम्बंध में अवगत कराया गया कि औषधियों की आकस्मिकता के कारण नहीं कराया गया भविष्य में विश्लेषण कराये जाने का ध्यान रखा जायेगा।

प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक का उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि उत्तराखंड शासन के निर्देशानुसार औषधियों की गुणवत्ता ख्याति प्राप्त फर्म से करायी जानी थी लेकिन चिकित्सालय के द्वारा नियमों की अनदेखी करते हुये ₹ 4676339.99 की औषधियों का क्रय करने के पश्चात 20 प्रतिशत नमूने लेकर अधिकृत ख्याति प्राप्त संस्थानों से उनका विश्लेषण नहीं कराया गया।

अतः ₹ 46.76 लाख मूल्य की औषधियों की नियमानुसार गुणवत्ता जाँच नहीं किए जाने का प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

<u>भाग- दो (ब)</u>

प्रस्तर 02 : अवास्तविक बजट की मांग व ₹ 121.55 लाख की राशि का वर्षांत समर्पण किया जाना।

उत्तराखण्ड बजट मैनुअल में निहित प्रावधानों के अनुसार कार्यालयाध्यक्ष का उत्तरदायित्व होता है कि सम्यक विचारोप्रान्त बजट की मांग प्रस्तुत करे तथा वित्तीय नियम 56 (1) एवं (2) के अनुसार धनराशि के अवशेष रहने की स्थिति में यथा समय समर्पित कर दिया जाना चाहिये जिससे कि अन्यत्र विकास कार्यों मे उसका उपयोग हो सके।

प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक, बी॰ डी॰ पाण्डे जिला चिकित्सालय, पिथौरागढ़ के लेखा अभिलेखों के नमूना जाँच में यह तथ्य प्रकाश में आया कि वित्तीय वर्ष 2016-17 में ₹ 60.95 लाख एवं 2017-18 में ₹ 60.60 लाख कुल धनराशि ₹ 121.55 लाख की धनराशि वर्ष के अंत मे समर्पित किया गया था।

वर्ष 2016-17			
लेखाशीर्ष	**आवंटन**	**व्यय**	**समर्पित राशि**
2210 110 00 01 03	80230251.00	74684496.00	5545755.00
2210 200 00 01 03	1806960.00	1760290.00	46670.00
2210 110 00 01 11	2511568.00	2003666.00	502902.00
कुल योग	**84548779.00**	**78448452.00**	**6095327.00**

वर्ष 2017-18			
लेखाशीर्ष	**आवंटन**	**व्यय**	**समर्पित राशि**
2210 110 00 01 03	95673603.00	95597449.00	76154.00
2210 110 00 01 03	101556871.00	95673603.00	5883268.00
2210 200 00 01 03	1911900.00	1823702.00	88198.00
2210 110 00 01 11	2981923.00	1969860.00	12054.00
कुल योग	**202124297.00**	**195064614.00**	**6059674.00**

उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि बजट की मांग आवश्यकता से अधिक की गयी थी तथा वर्ष के अंत मे शेष धनराशि समर्पित किए जाने के कारण उक्त राशी का अन्यत्र उपयोग किया जाना सम्भव नहीं था

उक्त के सम्बंध में इंगित किये जाने पर प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक ने अवगत कराया कि स्वीकृत पद के सापेक्ष बजट की प्राप्ति हुयी थी परन्तु कुछ कर्मचारियों के स्थानांतरण हो जाने के कारण धनराशि शेष रह गयी थी तथा वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर शेष धनराशि समर्पित कर दी गयी।

विभाग का उत्तर मान्य नहीं है क्योकि कर्मचारियों के स्थानांतरण हो जाने के समय ही बजट का समर्पण कर दिया जाना चाहिए था, न कि उसे वर्षांत तक रखे रहना चाहिए था विभाग द्वारा अवास्तविक बजट की मांग की गयी व ₹ 121.55 लाख की राशि का वर्षांत समर्पण किया गया। अतः धनराशि ₹ 121.55 लाख का वर्षांत समर्पण किए जाने का प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

भाग-III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	**भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या**	**भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या**	**STAN**
60/2002-03	शून्य	1	-
84/2005-06	शून्य	1	-
147/2008-09	1	1	1
51/2010-11	शून्य	1,2	1,2
174/2013-14	शून्य	1,2,3	1
86/ 2016-17	शून्य	1,2	1

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	**प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण**	**अनुपालन आख्या**	**लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी**	**अभ्युक्ति**
	----------	अप्रस्तुत --------		

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

शून्य

भाग-V

आभार

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु **प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक, बी॰ डी॰ पाण्डे जिला चिकित्सालय, पिथौरागढ़** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है।
2. **लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः**

(i) अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्या ।

3. **सतत् अनियमितताएः**

(i) शून्य

4. **लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया**

क्र. सं.	**नाम**	**पद नाम**	**अवधि**
1	डा॰ एस॰ के॰ मेहता	प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक	02.07.16 से 31.12.17
2	डा॰ एच॰ एस॰ खड़ायत	प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक	01.01.18 से वर्तमान तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक, बी॰ डी॰ पाण्डे जिला चिकित्सालय, पिथौरागढ़** को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप महालेखाकार (सामाजिक क्षेत्र) को प्रेषित कर दी जांय।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/सा.क्षे.